N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0173 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 16/08/2024 20:02 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 14/08/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 07:30 बजे **Time To (समय तक):** 21:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/08/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 16/08/2024 20:02:32 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 450 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** POLICE CHAUKI, MAHI DEM, BANSWARA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** PREMCHAND NINAMA
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** BALCHAND NINAMA
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BORKHEDA, MAHIDEM, BHUNGRA, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BORKHEDA, MAHIDEM, BHUNGRA, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	GANPAT LAL		पिता:NATHU LAL	1. SUKHDHAM COLONY,PINDWARA,SIROHI,RAJASTHAN,INDIA
2	RAJENDRA KUMAR		पिता:PANNA LAL DAMOR	1. SAMISERA,BANSWARA,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय् भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा। विषयः- कानूनी कार्यवाही कराने बाबत्। महोदय् उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि " मै प्रार्थी प्रेमचन्द्र निनामा पिता श्री बालचन्द्र निनामा उम्र 31 वर्ष निवासी बोरखेड़ा माहिडेम पुलिस थाना भुंगडा जिला बांसवाड़ा का निवासी होकर लिखित रिपोर्ट करता हुं कि मै एवं मेरे चचेरे भाई श्री गौतमलाल निनामा है हम दोनो भाई दिनांक 08.08.2024 को साथ थे मेरे भाई की पत्नि ग्राम पंचायत बोरखेडा की सरपंच है और मेरा चचेरा भाई राजनितिक रूप से गांव में सक्रिय है और गांव के लोगो से उसका अच्छा सम्पर्क है जिस पर रात को करीबन नौ बजे माहीडेम कस्बा निवासी श्री अनुराग ने मेरे चचेरे भाई श्री गौतमलाल के मोबाईल पर फोन कर बताया की श्री राहुल ने मेरी बहन की दुकान में चोरी कि है जिस पर मेरे चचेरे भाई श्री गौतमलाल ने चोरी के बारे में पुलिस चौकी माहीडेम के श्री राजेन्द्र जी हैड साहब को फोन कर सुचित किया। दुसरे दिन शाम को में और मेरे चचेरे भाई श्री राहुल के रिष्तेदार श्री सन्तोष जो की हमारे ग्राम पंचायत बोरखेडा में रात को सोता है जिससे राहुल के बारे पुछा तो उसने बताया की राहुल के बारे में पता नही है जिस पर श्री सन्तोष को मोबाईल फोन लेकर हमने राहुल को फोन लगाया तो राहुल का फोन बन्द आया जिस पर उसके दुसरे नम्बर पर डायल किया तो राहुल ने फोन उठाया जिसको उसके कहां होने के बारे में पूछा तो पुछने पर बोला की कल में घर आ रहा हुं जिस पर श्री सन्तोष का मोबाईल हमने अपने पास ले लिया और सन्तोष से कहां की हम सुबह श्री राजेन्द्र जी हैड साहब को तेरा फोन दे देगें उसी रात को करीबन 12 बजे मुझे माहीडेम चौकी पर बुलाया तो मैं माहिडेम चौकी गया तो वहां पर पुलिस जाप्ते के साथ भुंगडा थानेदार साहब भी थे थानेदार साहब ने मेरे साथ मारपीट की और बोला की तुने सन्तोष का फोन क्युं लिया है तो मैने बताया कि साहब राहुल ने दुकान पर चोरी की थी और सन्तोष उसका रिष्तेदार है राहुल का पता लगाने के लिए हमने सन्तोष का फोन लिया था और सन्तोष के फोन से हमारी जब राहुल से बात हुई तो राहुल कल घर आने का कह रहा था कही सन्तोष राहुल को फोन करके घर पर आने से मना कर देता इसलिए हमने सन्तोष का फोन ले लिया था और हम सन्तोष का फोन सुबह हैड साहब को देने वाले थे उसके बाद भी थानेदार साहब व हैड साहब राजेन्द्र जी ने मेरे साथ मारपीट की एवं मौके पर मौजुद श्री सन्तोष से मेरे एवं मेरे चचेरे भाई श्री गौतमलाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई जब कि सन्तोष हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखने से मना कर रहा था फिर भी थानेदार साहब और हैड साहब ने सन्तोष से जबरन हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर मुझे चौकी पर बिठा रखा। फिर मुझे भुंगडा थाने ले गये फिर दुसरे दिन शाम को थाने से वापस माहीडेम चौकी पर लेकर आए और थानेदार साहब और राजेन्द्र जी हैड साहब ने मुझे बोला की तु पन्द्रह हजार रूपये खर्चे पानी के देगा तो तेरे और तेरे चचेरे भाई के खिलाफ मुकदमा में नही फंसाउंगा और रूपये नही देगा तो तुम दोनो को चोरी के केस में अन्दर करवा दुंगा जिस पर मैने थानेदार साहब को निवदेन किया की सर हमने तो हैड साहब को देने के लिए सन्तोष का फोन लिया था जिस पर थानेदार साहब और हैड साहब ने कहा कि चोरी के केस में अन्दर नही जाना है तो पन्द्रह हजार रूपये की व्यवस्था कर कल 12 बजे तक लेकर आ जाना। थानेदार साहब और हैड साहब राजेन्द्र जी मुझे और मेरे चचेरे भाई को मुकदमें में नही फसाने के लिये पन्द्रह हजार रूपये मांग रहे है मेरे चचेरे भाई से हैड साहब और थानेदार जी बात नही करते है इसलिए मुझे श्री रमेष पिता श्री रामा चरपोटा निवासी बोरखेडा जो की मेरे मिलने वाला है और उससे साहब बात करते है। मै थानेदार साहब और हैड साहब को रिश्वत के रूप में कोई राशि नही देना चाहता हूं उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू मेरे और मेरे चचेरे भाई की इनसे नाही कोई बकाया लेन-देन व नाही कोई आपसी रंजिश है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करावें।" दिनांकः- 12.08.2024 सही/- प्रेमचन्द्र निनामा पिता श्री बालचन्द्र निनामा निवासी बोरखेडा माहीडेम पुलिस थाना भुगडा, जिला बांसवाड़ा। मो.नं. -

कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा दिनांक 12.08.2024 समय 07.30 एएम श्री प्रेमचन्द्र निनामा पिता श्री बालचन्द्र निनामा उम्र 31 वर्ष निवासी बोरखेडा माहिडेम पुलिस थाना भुंगडा जिला बांसवाड़ा उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को परिवादी को पढकर सुनाया गया तो परिवादी श्री प्रेमचन्द्र ने शब्द-ब-षब्द सही होना व प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षरा होना स्वीकार किया। माजिद दरियाप्त पर परिवादी ने बताया कि " मै प्रार्थी प्रेमचन्द्र निनामा पिता श्री बालचन्द्र निनामा उम्र 31 वर्ष निवासी बोरखेडा माहिडेम पुलिस थाना भुंगडा जिला बांसवाड़ा का निवासी होकर लिखित रिपोर्ट करता हुं कि मै एवं मेरे चचेरे भाई श्री गौतमलाल निनामा है हम दोनो भाई दिनांक 08.08.2024 को साथ थे मेरे भाई की पत्नि ग्राम पंचायत बोरखेडा की

सरपंच है और मेरा चचेरा भाई राजनितिक रूप से गांव में सक्रिय है और गांव के लोगो से उसका अच्छा सम्पर्क है जिस पर रात को करीबन नौ बजे माहीडेम कस्बा निवासी श्री अनुराग ने मेरे चचेरे भाई श्री गौतमलाल के मोबाईल पर फोन कर बताया की श्री राहुल ने मेरी बहन की दुकान में चोरी कि है जिस पर मेरे चचेरे भाई श्री गौतमलाल ने चोरी के बारे में पुलिस चौकी माहीडेम के श्री राजेन्द्र जी हैड साहब को फोन कर सुचित किया। दुसरे दिन शाम को में और मेरे चचेरे भाई श्री राहुल के रिष्तेदार श्री सन्तोष जो की हमारे ग्राम पंचायत बोरखेडा में रात को सोता है जिससे राहुल के बारे पुछा तो उसने बताया की राहुल के बारे में पता नही है जिस पर श्री सन्तोष को मोबाईल फोन लेकर हमने राहुल को फोन लगाया तो राहुल का फोन बन्द आया जिस पर उसके दुसरे नम्बर पर डायल किया तो राहुल ने फोन उठाया जिसको उसके कहां होने के बारे में पूछा तो पुछने पर बोला की कल में घर आ रहा हुं जिस पर श्री सन्तोष का मोबाईल हमने अपने पास ले लिया और सन्तोष से कहां की हम सुबह श्री राजेन्द्र जी हैड साहब को तेरा फोन दे देगें उसी रात को करीबन 12 बजे मुझे माहीडेम चौकी पर बुलाया तो मैं माहिडेम चौकी गया तो वहां पर पुलिस जाप्ते के साथ भुंगडा थानेदार साहब भी थे थानेदार साहब ने मेरे साथ मारपीट की और बोला की तुने सन्तोष का फोन क्युं लिया है तो मैने बताया कि साहब राहुल ने दुकान पर चोरी की थी और सन्तोष उसका रिष्तेदार है राहुल का पता लगाने के लिए हमने सन्तोष का फोन लिया था और सन्तोष के फोन से हमारी जब राहुल से बात हुई तो राहुल कल घर आने का कह रहा था कही सन्तोष राहुल को फोन करके घर पर आने से मना कर देता इसलिए हमने सन्तोष का फोन ले लिया था और हम सन्तोष का फोन सुबह हैड साहब को देने वाले थे उसके बाद भी थानेदार साहब व हैड साहब राजेन्द्र जी ने मेरे साथ मारपीट की एवं मौके पर मौजुद श्री सन्तोष से मेरे एवं मेरे चचेरे भाई श्री गौतमलाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई जब कि सन्तोष हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखने से मना कर रहा था फिर भी थानेदार साहब और हैड साहब ने सन्तोष से जबरन हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर मुझे चौकी पर बिठा रखा। फिर मुझे भुंगडा थाने ले गये फिर दुसरे दिन शाम को थाने से वापस माहीडेम चौकी पर लेकर आए और थानेदार साहब और राजेन्द्र जी हैड साहब ने मुझे बोला की तु पन्द्रह हजार रूपये खर्चे पानी के देगा तो तेरे और तेरे चचेरे भाई के खिलाफ मुकदमा में नही फंसाउंगा और रूपये नही देगा तो तुम दोनो को चोरी के केस में अन्दर करवा दुंगा जिस पर मैने थानेदार साहब को निवदेन किया की सर हमने तो हैड साहब को देने के लिए सन्तोष का फोन लिया था जिस पर थानेदार साहब और हैड साहब ने कहा कि चोरी के केस में अन्दर नही जाना है तो पन्द्रह हजार रूपये की व्यवस्था कर कल 12 बजे तक लेकर आ जाना। थानेदार साहब और हैड साहब राजेन्द्र जी मुझे और मेरे चचेरे भाई को मुकदमें में नही फसाने के लिये पन्द्रह हजार रूपये मांग रहे है मेरे चचेरे भाई से हैड साहब और थानेदार जी बात नही करते है इसलिए मुझे श्री रमेष पिता श्री रामा चरपोटा निवासी बोरखेडा जो की मेरे मिलने वाला है और उससे साहब बात करते है। मै थानेदार साहब और हैड साहब को रिश्वत के रूप में कोई राशि नही देना चाहता हूं उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू मेरे और मेरे चचेरे भाई की इनसे नाही कोई बकाया लेन-देन व नाही कोई आपसी रंजिश है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करावें।" दरियाप्त पर परिवादी सें श्री रमेष के बारे में पुछा तो परिवादी ने बताया की रमेष कोई काम था तो वह अभी मेरे साथ नही आया है वह मेरे साथ थाने में चलेगा। जिस पर मामला रिष्वत राषि मांग का पाया जाने पर नियमानुसार रिष्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवष्यक होने से परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित श्री गणेषलाल हैड कानि 20 को कार्यालय की अलमारी से डिजीटल टेप रिकोर्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड को लेकर कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा श्री गणेषलाल हैड कानि 20 का परिचय परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा से करवाया जाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर आपस में आदान-प्रदान किये गये। परिवादी को ब्यूरो की डिजीटल टेप रिकोर्डर के संचालन की विधी भलीभांती समझाई गई। परिवादी ने बताया कि आज तो थानेदार साहब और हैड साहब अभी कावड यात्रा ड्युटी में है वो अभी नही मिलेंगे शाम को मिल सकते है। ऐसी स्थिति में परिवादी को दोनो आरोपीओ के पुलिस थाना पर उपस्थित होने की गोपनीय जानकारी प्राप्त करते हुए श्री गणेषलाल हैड कानि नं 20 को जरिये दूरभाष अवगत् कराने हेतु पाबंद कर मामले की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रुखसत किया गया तथा श्री गणेषलाल हैड कानि 20 को भी परिवादी से नियमित सम्पर्क कर मांग सत्यापन कराने की निर्देष दिये गये। डिजिटिल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड को पुनः कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 13.08.2024 समय 05.30 पीएम दर्ज रहे कि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की दिनांक 12.08.2024 समय करिबन. 08.30 एएम के क्राईम मिटिंग के लिए रवाना हुआ। श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रेंज उदयपुर के कार्यालय में क्राईम मिंटीग में सम्मिलित हो बाद क्राईम मिटींग ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित हालात इस प्रकार है की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनांक 12.08.2024 को श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रेंज उदयपुर में क्राईम मिटिंग में सम्मिलित हो रात्री मुकीम उदयपुर रहा। बाद फारीक रवाना हो उपस्थित ब्यूरो इकाई बांसवाडा आया। दर्ज रहे कि दिनांक 12.08.2024 को समय 06.31 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री गणेषलाल हैड कानि नं 20 जो कि ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पर उपस्थित था उसने कॉल से सम्पर्क कर अवगत कराया कि परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा का कॉल आया और उसने मुझे बताया की हैड साहब ने कॉल कर मुझे थाने पर बुलाया है जिस पर परिवादी ने मुझे भुंगडा बुलाया। " जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री गणेषलाल हैड कानि को ब्यूरो कार्यालय की अलमारी से ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर

मय रिक्त मेमोरी कार्ड लेकर कस्बा भुंगडा जाकर परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन कार्यवाही कर हालात से अवगत कराने हेतु निर्देषित किया गया जाकर कार्यालय से रूखसत किया गया। दर्ज रहे कि दिनांक 13.08.2024 को समय 07.52 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री गणेषलाल हैड कानि नं 20 जो कि ब्यरो कार्यालय बांसवाडा पर उपस्थित था उसने जरिये कॉल से सम्पर्क कर अवगत कराया की दिनांक 12.08.2024 को में समय करिबन 06.35 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय को ताला लगा चाबी हमरा लेकर कस्बा भुंगडा रवाना हुआ था भुंगडा पहुंचने पर परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा और श्री रमेष उपस्थित मिले जिन्होने मुझे बताया की अभी तक थानेदार साहब और हैड साहब थाने पर नही आए है। कुछ समय इंतजार करने के बाद गोपनीय रूप से दोनो आरोपीओ के बारे में मालुमात करने पर मालुम हुआ की दोनो ही आरोपी कावड यात्रा में कानुन व्यवस्था ड्युटी में लगे हुए जो की अभी तक थाने पर नही आए है। जिस पर परिवादी को आरोपीओ का कॉल आने या किसी भी तरीके से अगर आरोपीओ से सम्पर्क होता है तो मुझे सूचित करने की हिदायत कर मामले की गोपनीयता बनाए रखने की समझाईष कर ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिए रवाना हो समय करिबन 08.30 पीएम पर कार्यालय उपस्थित हुआ और ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुरक्षित अलमारी में रख दिया। अभी कुछ समय पहले परिवादी का मेरे मोबाईल पर कॉल आया और परिवादी ने बताया की मुझे अभी थाने से कॉल आया और मुझे थाने पर बुलाया है और थानेदार साहब और हैड अभी रिष्वत राषि की मांग कर सकते है इसलिए आप मुझे भुंगडा मिलना।" जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री गणेषलाल हैड कानि को ब्यूरो कार्यालय की अलमारी से ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड लेकर कस्बा भुगडा जाकर परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन की कार्यवाही कर हालात से अवगत कराने हेतु निर्देषित किया जाकर कार्यालय से रूखसत किया गया था, तत्पष्चात समय 10.27 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री गणेषलाल हैड कानि द्वारा जरिये दुरभाष अवगत कराया की आप द्वारा दिए गए निर्देषानुसार कार्यालय की अलमारी से ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर में नई मेमोरी कार्ड डालकर रिष्वत मांग सत्यान वार्ता हेतु मय ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेकर समय करिबन 07.52 एएम पर ब्यूरो इकाई से रवाना हो समय करिबन 08.40 एएम पर परिवादी और श्री रमेष चरपोटा से मिला, जिसे मेरे द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाई जाकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर डिजीटल टेप रिकॉर्डर परिवादी श्री प्रेमचन्द निनामा को सुपूर्द कर रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने की आवष्यक हिदायत देकर परिवादी और श्री रमेष चरपोटा को पुलिस थाना भुंगडा की और रवाना कर मै पुलिस थाना भुगडा के आस-पास ही अपनी उपस्थिती छुपाते हुए मुकीम रहा। इसके बाद समय करिबन 10.15 एएम पर परिवादी एवं सहपरिवादी मेरे पास आया और ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मुझे सुपूर्द किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया, तत्पष्चात परिवादी ने मुझे बताया की थानेदार साहब थाने में नही थे रमेष ने थाने में जाकर थानेदार साहब के मोबाईल पर कॉल किया और बताया की हम थाने में आए है जिस पर थानेदार साहब ने रमेष का कॉल काट दिया, जिस पर हम थाने में हि खडे थे जिसके कुछ समय बाद थाने के हैड साहब हमारे पास उनका मोबाईल लेकर आए और उनका मोबाईल देते हुए कहां की लो साहब से बात करो जिस पर रमेष ने पहले साहब से मोबाईल पर बात की और उसके बाद मोबाईल मुझे दिया जिस पर में मोबाईल पर बात करते हुए साईड में जाकर उस मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रख थानेदार साहब से बात की जिस पर थानेदार साहब को मैने बताया की सर रमेष से क्या बात हुई थी जो भी हो बोल दो जिस पर थानेदार साहब ने मोबाईल पर हि कहां की सात तो पुराने है और दस दुसरे अभी के लिए कुल सत्रा हुए टोटल जिस पर मैने उनसे निवेदन किया तो वह सत्रा में से पन्द्रह हजार रूपये लेने राजी हुए, और कहां की तु राषि देगा तो तुझ पर मुकदमा नही करेंगे नही तो मुकदमा टेक देते ऐसा कहां, और कहां की रूपये की व्यवस्था कर पन्द्रह हजार हैड साहब को दे जाना और दो अलग से हैड साहब को दे देना मुझे फोन मत करना। जिस पर मैने उनको बताया की आज तो इतने रूपयो की वव्यस्था नही हो सकती है, रूपयो की व्यवस्था कर आने को कहां है। उपरोक्त वार्ता को मैने ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में मोबाईल फोन को लाउड स्पीकर पर रख रिकॉर्ड कर लिया है। तत्पष्चात परिवादी और श्री रमेष को मांग सत्यापन वार्तानुसार संदिग्ध को दी जाने वाली रिष्वती राषि की व्यवस्था के बारे में पुछा तो बताया कि सर राषि की व्यवस्था होना संम्भव नही है मै दिनांक 14.08.2024 तक राषि की व्यवस्था कर आपसे सम्पर्क करूंगा, जिस पर परिवादी को मामले की गोपनीयता बरतने की हिदायत देते हुए राषि की व्यवस्था कर दिनांक 14.08.2024 को ब्यूरो इकाई बांसवाडा आने की समझाईष कर रूकसत किया। तत्पष्चात कस्बा घाटोल से रवाना हो समय करिबन 11.00 एएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित हुआ तथा निर्देषानुसार श्री गणेषलाल हैड कानि ने ब्यरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आज कार्यालय में उपस्थित होने के बाद श्री गणेषलाल हैड कानि. को रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता का रिकॉर्ड शुदा डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेष करने हेतु कहा गया जिस पर श्री गणेषलाल हैड कानि ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेष कर पूर्व में जरिये दूरभाष मांग सत्यापन के हालात पुनः अवगत कराये गये तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर सुना गया तो रिष्वत राषि की मांग सत्यापन होना पाया गया तथा श्री गणेषलाल हैड कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। अग्रिम कार्यवाही परिवादी और श्री रमेष के कार्यालय में उपसि्थत पर की जावेगी। पुनः डिजीटल टेप रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखवाया गया। दिनांक 14.08.2024 समय 10.00 ए.एम. चूंकि परिवादी और

श्री रमेष व आरोपी के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ता एवं परिवादी और श्री रमेष द्वारा आज दिनांक 14.08.2024 को ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने हेतु अवगत करवाया गया था। अग्रिम कार्यवाही हेतु इस समय दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला बांसवाडा के नाम कार्यालय पत्रांक 883 दिनांक 14.08.2024 जारी कर श्री बंषीलाल कानि. को तहरिर देकर आवश्यक हिदायत कर रवाना किया एवं अतिरिक्त ब्यूरो जाप्ता की आवष्यकता होने से श्री रतन सिंह, पुलिस उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरो डूंगरपुर को जरिये दूरभाष जाप्ता उपलब्ध कराने हेतु निर्देषित किया। समय 02.30 पीएम पर परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा एवं श्री रमेष ब्यूरो कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया जिसने बताया कि मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार रिष्वत राषि 15,000 /- रूपये देना तय हुआ था, मांग के अनुसार मैं 15,000/- रूपये लेकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के लिए उपस्थित हुआ हु। जिस पर दोनो को कार्यालय कक्ष में बिठाकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से श्री रमेष के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया की ये मेरे गांव के ही रहने वाले है् मै जब आपके कार्यालय मे उपस्थित हुआ था तो ये इनके किसी निजी काम से आ नही पाए थे फिर मै जब दिनांक 12.08.2024 को मुझे हैड साहब ने थाने बुलाया था एवं दिनांक 13.08.2024 को रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता के लिए थाने गया था तब मेरे साथ श्री रमेष थाने में आए थे क्योकी थानेदार साहब और हैड साहब ने राषि की बात रमेष से ही की थी इसलिए मै इनको थाने में अपने साथ लेकर गया था और मैने उनको इस कार्यवाही के बारे में बताया हुआ था इसलिए मै आज यह मेरे साथ यहां आए है जिस पर उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने बताया की मेरा नाम श्री रमेष पिता श्री रामा चरपोटा निवासी बोरखेडा जिला बांसवाडा का रहने वाला हुं प्रेमचन्द्र और में एक हि गांव के रहने वाले है इसलिए हम एक दुसरे के साथ रहते है और में इनके साथ इनके काम के लिए थाने गया था। जिस पर परिवादी और श्री रमेष से दिनांक 13.08.2024 को हुई रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी बाबत् माजिद दरियाफ्त पुछताछ की गई तो परिवादी ने बताया की "दिनांक 12.08.2024 को श्री गणेषलाल जी कस्बा भुंगडा मिले जहां पर मै और रमेष दोनो उपस्थित थे जिस पर हमने श्री गणेषलाल जी को बताया की अभी तक थानेदार साहब और हैड साहब थाने पर नही आए है। कुछ समय इंतजार करने के बाद गोपनीय रूप से दोनो आरोपीओ के बारे में गणेषलाल जी ने पता लगाया तो मालुम हुआ की दोनो ही कावड यात्रा में कानुन व्यवस्था ड्युटी में लगे हुए जो की अभी तक थाने पर नही आए है। जिस पर गणेषलाल जी ने हमें आरापीयो के कॉल आने पर उन्हे सुचित करने की हिदायत कर मामले की गोपनीयता बनाए रखने की समझाईष कर ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिए रवाना हो गए। दिनांक 13.08.2024 को मैने श्री गणेषलाल जी को मैने फोन कर मुझे थाने पर बुलाया जाने के बारे में बताया तो श्री गणेषलाल जी समय करिबन 08.40 एएम पर कस्बा भुगडा आए जिस पर मै और रमेष उन्हे वही पर मिले। मेरे को गणेषलाल जी हैड साहब ने ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर डिजीटल टेप मुझे देकर रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने की समझाईष कर पुलिस थाना भुगडा की और रवाना किया। इसके बाद कुछ समय बाद मै गणेषलाल जी हैड साहब के पास पहुंचा और ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर गणेषलाल जी सुपूर्द किया जिसे गणेषलाल जी ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पष्चात मैने गणेषलाल जी को बताया की थानेदार साहब थाने में नही थे रमेष ने थाने में जाकर थानेदार साहब के मोबाईल पर कॉल किया और बताया की हम थाने में आए है जिस पर थानेदार साहब ने रमेष का कॉल काट दिया, जिस पर हम थाने में हि खडे थे जिसके कुछ समय बाद थाने के हैड साहब हमारे पास उनका मोबाईल लेकर आए और उनका मोबाईल देते हुए कहां की लो साहब से बात करो जिस पर रमेष ने पहले साहब से मोबाईल पर बात की और उसके बाद मोबाईल मुझे दिया जिस पर में मोबाईल पर बात करते हुए साईड में जाकर उस मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रख थानेदार साहब से बात की जिस पर थानेदार साहब को मैने बताया की सर रमेष से क्या बात हुई थी जो भी हो बोल दो जिस पर थानेदार साहब ने मोबाईल पर हि कहां की सात तो पुराने है और दस दुसरे अभी के लिए कुल सत्रा हुए टोटल जिस पर मैने उनसे निवेदन किया तो वह सत्रा में से पन्द्रह हजार रूपये लेने राजी हुए, और कहां की तु राषि देगा तो तुझ पर मुकदमा नही करेंगे नही तो मुकदमा टेक देते ऐसा कहां, और कहां की रूपये की व्यवस्था कर पन्द्रह हजार हैड साहब को दे जाना और दो अलग से हैड साहब को दे देना मुझे फोन मत करना। जिस पर मैने उनको बताया की आज तो इतने रूपयो की वव्यस्था नही हो सकती है, रूपयो की व्यवस्था कर आने को कहां है। उपरोक्त वार्ता को मैने ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में मोबाईल फोन को लाउड स्पीकर पर रख रिकॉर्ड कर लिया है। तत्पश्चात गणेषलाल जी ने संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था के बारे मे पुछा तो मैने बताया कि सर आज तो राषि की व्यवस्था होना संभव नही है एवं एक दो दिन में वव्यस्था करने का कहने पर गणेषलाल जी ने मुझे मामले की गोपनियता बरतने की हिदायत देते हुऐ रिष्वत राषि की व्यवस्था कर दिनांक 14.08.2024 को प्रातः ब्यूरो इकाई बांसवाडा आने की हिदायत देकर रूकसत किया था।" परिवादी से रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता में जो की परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की थी जिसमें परिवादी से आरोपी बार-बार पूर्व के सात हजार रूपये की बात कह रहा था जिसके बारे में परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि" मेरे मामा की बच्ची की शादी कराई थी तो उस बच्ची के ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया, जिस पर बच्ची पिहर चली आई तो हम पुलिस थाना भुंगडा गए और उस बच्ची के ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने हेतु गए तो थानेदार साहब ने मुकदमा दर्ज करने की एवज में कुल पच्चीस

हजार रूपयें की मांग की जिस पर मेरे मामा और अन्य रिष्तेदारो ने मिलकर थनदार जी को 18,000/- रूपये दे दिए थे और उसमें से थनदार जी को सात हजार रूपये कम दिए थे उक्त रूपये थनदार जी मुझसे मांग रहे थे। 18,000/- रूपये लेने के बाद थनदार जी ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।" जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री गणेषलाल हैड कानि को कार्यालय कक्ष में बुलाकर पूछा गया तो हैड कानि ने परिवादी एवं श्री रमेष द्वारा बताये गए तथ्यो की ताईद की गई। परिवादी और श्री रमेष को सुरक्षित कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 06.30 पी.एम. पर शिक्षा विभाग जिला बांसवाडा से दो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित आये जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री लोकेश चन्द्र पिता श्री कान्तिलाल शाह जाति जैन उम्र 47 वर्ष निवासी आदिनाथ नगर-2, अगरपुरा-बी, जिला बांसवाडा हाल राजकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय खमेरा ब्लॉक घाटोल जिला बांसवाडा एवं श्री मनु काले पिता श्री आदित्य काले जाति ब्राम्हण उम्र 36 वर्ष निवासी नई आबादी, पुलिस थाना कोतवाली के सामने बांसवाडा, हाल वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नूतन जिला बांसवाडा होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मोखिक सहमति व्यक्त की। दोनों गवाहों को कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बिठाया गया। समय 06.45 पी.एम. पर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा और श्री रमेष चरपोटा एवं कार्यालय में बैठे हुए दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा एवं श्री रमेष चरपोटा की रिपोर्ट दिनांक 12-08-24 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं श्री रमेष के भी हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता का रिकॉर्ड शुदा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मंगवाया गया जिस पर श्री गणेषलाल हैड कानि ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेष कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य अंष को सुना गया और गवाहो को भी सुनाया गया तो गवाहान ने भी आरोपी द्वारा रिष्वत राषि मांग की पुष्टि की, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिष्वत मांग सत्यापन पृथक से तैयार की जावेगी। समय 06.55 पी.एम. पर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर से पूर्व से पाबन्दषुदा श्री राजेन्द्र सिह, पुलिस निरीक्षक मय निजी वाहन मय ब्यूरो जाप्ता श्री नारायणलाल सप्रअ, श्री बाबुलाल कानि, श्री जितेन्द कानि के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आए। समय 07.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा को आरोपी श्री राजेन्द्र हैड कानि पुलिस चौकी माहिडेम पुलिस थाना भुंगडा जिला बांसवाडा को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री जितेन्द्र कानि. 390 से कार्यालय कक्ष के मालखाने से रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त भारतीय चलन मुद्रा के नोट के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटो को परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब की तलाशी श्री लोकेश चन्द्र स्वतन्त्र गवाहन से लिवाई जाकर उक्त जेब में श्री जितेन्द्र से कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री गणेशलाल हैड कानि. से एक प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोल गिलास में कार्यालय कक्ष में से साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होंनें घोल को रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री जितेन्द्र की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री जितेन्द्र से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री जितेन्द्र को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु सभलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपि के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या श्री गणेशलाल हैड कानि. के मोबाईल नम्बर पर मीस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। श्री जितेन्द्र कानि. को ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 07.54 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा को स्वयं की निजी मोटरसाईकल एवं श्री गणेषलाल हैड कानि को पुलिस

चौकी माहीडेम के लिए रवाना करते हुए परिवादी के पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री लोकष चन्द्र, श्री मनु काले एवं श्री रमेष ब्यूरो जाब्ता श्री हरभजन सिंह क.स., श्री बंषीलाल कानि मय ट्रेप बॉक्स व आवष्यक संसाधन सरकारी कम्प्युटर, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी के ब्यूरो इकाई से रवाना हुए एवं श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्री नारायणलाल सप्रअ, श्री बाबुलाल कानि, श्री जितेन्द्र सिह चालक कानि को पुलिस निरीक्षक के निजी वाहन से पुलिस थाना भुगडा के लिए रवाना किया। समय 08.28 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता ब्यूरो कार्यालय से रवानाषुदा पुलिस चौकी माहीडेम के आस पास पहुच कर परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा को श्री गणेशलाल हैड कानि. द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द कर पुलिस चौकी माहीडेम की ओर रवाना किया गया तथा प्राईवेट वाहन को साईड में खड़ा करा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान, श्री रमेश एवं ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के पिछे पिछे गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। समय 09.15 पी.एम. पर दर्ज रहे कि समय करीब 08.45 पीएम पर परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा पुलिस चौकी माहीडेम से बाहर आकर अपने सिर हाथ फैरकर रिष्वती राषि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईषारा करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, श्री रमेष एवं ब्यूरो के जाप्ता सहित परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को देने पर टेप रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित हालात में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि अभी-अभी राजेन्द्र कुमार हैड साहब को उनकी मांग के अनुसार भारतीय चलन मुद्रा के पन्द्रह हजार रूपये देना चाहा तो श्री राजेन्द्र कुमार हैड साहब ने अपने हाथ में एक प्लास्टिक के हल्के हरे थैली पकड रखी थी उसमे रिष्वत राषि रखने का बोला तो जिस पर मैने उनके हाथ में पकडी प्लास्टिक हल्के हरे कलर की थैली में रिष्वत राषि रख दी। उसके बाद श्री राजेन्द्र कुमार हैड साहब ने उक्त प्लास्टिक थैली मय राषि को पुलिस चौकी माहीडेम के क्वार्टर के कक्ष में पडे खांट के गद्दे के निचे रख दी। उसके बाद मैने वहां से निकलकर बाहर आकर पूर्व निर्धारित ईषारा सिर पर हाथ फेरकर किया, इस पर परिवादी के साथ मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान, श्री रमेष एवं ब्यूरो का जाप्ता के साथ पुलिस चौकी माहीडेम के क्वार्टर के कक्ष में प्रवेश हुए तो परिसर में बने एक कमरे में परिवादी की निषादेही से प्रवेष हुए तो कमरे में एक पुरूष की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही राजेन्द्र कुमार हैड साहब है जिन्होने अभी-अभी थानेदार साहब की मांग के अनुसार पन्द्रह हजार रूपये लिए है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री राजेन्द्र कुमार पिता श्री पन्नालाल डामोर जाति डामोर निवासी सामीसेरा पुलिस थाना आनन्दपुरी जिला बांसवाडा हाल हैड कानि 693 पुलिस चौकी माहीडेम पुलिस थाना भुंगडा जिला बांसवाडा होना बताया। इस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार से पूछा गया आपने अभी-अभी कुछ समय पूर्व परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा से पन्द्रह हजार रूपये किस बात के ग्रहण किए इस बाबत् पूछा तो श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि ने कहां की गलती हो गई साहब माफ कर दो और हैड कानि ने बताया की श्री प्रेमचन्द्र निनामा और उसके चचेरे भाई के विरूद्ध षिकायत लेकर श्री सन्तोष, थानेदार साहब और मुझसे आकर मिला था जिस पर प्रेमचन्द्र को भुंगडा थाने पर बुलाया था और उसको सन्तोष के मोबाईल क्यु लिया इस बारे में पुछा तो प्रेमचन्द्र ने बताया की मोबाईल राहुल को ढुंढने के लिए लिया था और मोबाईल थाने में लाकर देने वाला था जिस पर थानेदार साहब ने उसे पन्द्रह हजार रूपये देने के लिए कहां और कहां की तु पन्द्रह हजार रूपये दे देगा तो तेरे खिलाफ मुकदमा नही करूंगा। जिस पर मैने यह रूपये थानेदार साहब के कहे अनुसार साहब के लिए ही लिये है मेरा इनसे कोई लेना देना नही है जिस पर श्री राजेन्द्र कुमार को थानाधिकारी के मोबाईल पर कॉल करने हेतु कहां गया तो श्री राजेन्द्र कुमार ने अपने मोबाईल से श्री गणपतलाल, थानाधिकारी के मोबाईल पर कॉल लगाया जिस पर श्री राजेन्द्र कुमार के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवाकर उन दोनो के मध्य हुई वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के ऑन कर उनके मध्य होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड किया गया जिसमें थानाधिकारी ने हैड कानि को परिवादी को वही रोक के रखने एवं राषि लेकर आया या नही बाबत् वार्ता की और थानाधिकारी ने माहीडेम चौकी के क्वार्टर आने की बात कही। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष कॉल कर अवगत कराया की श्री राजेन्द्र कुमार, हैड कानि द्वारा रिष्वत राषि ग्रहण कर ली गई है, जिसे डिटेन किया है एवं श्री गणपतलाल, थानाधिकारी भी इसमें आरोपी है इसलिए आप उसे दस्तयाब कर पुलिस चौकी माहीडेम लेकर उपस्थित हो, थानाधिकारी के मिलने पर माजिद पूछताछ की जावेगी। तत्पष्चात आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार, हैड कानि की निषांदेही पर चौकी कक्ष में पडे खाट के गद्दे के निचे से एक हल्के हरे कलर की प्लास्टिक की थैली मिली जिसे स्वतंत्र गवाह श्री मनु काले से उठवाया जाकर थैली में रखे हुए 500-500 रूपये के नोट गवाह श्री मनु काले से निकलवाये जाकर गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के तीस नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल पन्द्रह हजार रूपये बरामद हुए जिसका मिला स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व मुर्तिब फर्द पेषकषी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर का मिलान हूबहू होना पाया गया उक्त रिष्वत राषि के नोट स्वत्रन्त्र गवाह श्री मनु काले के पास सुरक्षित रखवाये गये। प्रकियानुसार आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार, हैड कानि के दोनो हाथों के धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री बंषीलाल कानि

से प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर श्री गणेषलाल हैड कानि 20 से ट्रेप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलाकर पुलिस चौकी क्वार्टर से एक साफ पानी का गढा भरकर मंगवाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरापी श्री राजेन्द्र कुमार, हैड कानि के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री गणेषलाल हैड कानि. 20 से कराये जाकर मार्क RH1 व RH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरापी श्री राजेन्द्र कुमार,हैड कानि के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री गणेषलाल हैड कानि. 20 से कराये जाकर मार्क LH1 व LH2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार, हैड कानि ने एक हल्के हरे कलर की प्लास्टिक की थैली में रखवाये थे जो की उक्त प्लास्टिक की थैली से बरामद हुई जिसका नियमानुसार धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक नई प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास ट्रेप बॉक्स में से निकालकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल में हल्के हरे कलर की प्लास्टिक की थैली को उल्टा डुबोकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री गणेषलाल हैड कानि. 20 से कराये जाकर मार्क T1 व T2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त हल्के हरे कलर की प्लास्टिक की थैली को सुखाकर सुखने के बाद उसके उपर की तरफ संबंधितों के हस्ताक्षर कराये। उक्त प्लास्टिक की थैली जो बरंग हल्का हरा है, को एक सफेद कपड़े की थैली में रखा जाकर मार्क T अंकित करा सिलचिट बंद कराया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली पेकेट को वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। उपस्थितिन के समक्ष आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार की निशांदेही पर पुलिस चौकी कक्ष में पडे खाट के गद्दे के निचे हल्के कलर की प्लास्टिक की थैली में से पन्द्रह हजार रूपये बरामद हुए थे, उक्त रिश्वत राशि के नोट स्वतन्त्र गवाह श्री मुन काले के पास सुरक्षित रखवाये गये थे तत्पश्चात् पुनः दोनो गवाह से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो 500-500 रूपये तीस नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल तीस हजार रूपये का मिलान हुबहु हुए। उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर मार्क N अंकित कर श्री गणेषलाल हैड कानि. से सिलचिट बन्द करा नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। इसके पश्चात् श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता एवं आरोपी श्री गणपलाल वसीटा, थानाधिकारी पुलिस थाना भुगडा को हमराह लेकर उपस्थित हुए और बताया की श्रीमान् के निर्देषानुसार मन् पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना भुगडा पहुंचा तो थानाधिकारी वहां पर उपस्थित नही मिले जिस पर थाने पर थानाधिकारी के बारे में मालुमात किया तो मालुम हुआ की थानाधिकारी बांसवाडा शहर की तरफ अपने निजी वाहन से गए हुए है। जिस पर थानाधिकारी के निवास स्थान के बारे में पुछा तो पता चला की वो पुलिस थाना भुगडा के पीछे ही किराये के मकान में उपरी मंजिल पर रहते है जो की पुलिस थाना भुगडा के कार्यालय के पीछे हिं है उक्त निवास स्थान पर जाकर देखा तो वहां पर ताला लगा हुआ था उक्त निवास स्थान की खानातलाषी लिया जाना आवष्यक होने से श्री बाबुलाल कानि को थानाधिकारी के किराये के मकान की निगरानी हेतु छोडा एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता के थानाधिकारी की तलाष में शहर बांसवाडा की ओर रवाना हुआ, जिस पर शहर बांसवाडा से माहिडेम की और आने वाले मार्ग पर थानाधिकारी अपनी निजी वाहन मारूती ग्रेड विटारा से आ रहे थे जिन्हे रास्ते में रूकने का ईषारा कर रोका गया तो उन्होने अपने वाहन को साईड में लगाया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री गणपतलाल वसीटा पिता श्री नाथुलाल वसीटा जाति धोबी उम्र 33 वर्ष निवासी सुखधाम कोलोनी पिण्डवाडा जिला सिरोही, हाल उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना भुंगडा जिला बांसवाडा होना बताया। जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मेरे स्वंय के निजी वाहन में बिठा कर मय ब्यूरो जाब्ता आपके पास उपस्थित आया हुं। एवं थानाधिकारी के निजी वाहन को श्री जितेन्द्र सिह चालक कानि को लेकर उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया है। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री गणपतलाल, थानाधिकारी से परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा से पन्द्रह हजार रूपये किस बात के मांग की जा रही थी इस बाबत् पुछताछ की तो आरोपी थानाधिकारी ने कहां की सर गलती हो गई माफ कर दो इसके बाद आरोपी को तसल्ली देकर परिवादी से हैड कानिं द्वारा बताये गये तथ्यो एवं हैड कानि एवं थानाधिकारी के मध्य हुई रिष्वत राषि ग्रहण के समय हुई मोबाईल वार्ता जो की ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी के बारे में पुछताछ की तो आरोपी श्री गणपतलाल ने बताया की मेरे पास श्री सन्तोष उसके मोबाईल चोरी की षिकायत लेकर आया था जिस पर मेरे द्वारा उक्त षिकायत बाबत् पुछताछ के लिए श्री प्रेमचन्द्र निनामा को पुलिस थाना भुंगड़ा बुलाया था और उससे सन्तोष के मोबाईल के बारे में पुछा था यही बात आरोपी द्वारा बताई गयी। जिस पर थानाधिकारी से परिवादी के विरूद्व मुकदमा दर्ज करने के बारे में सम्बन्धित पुछताछ की एवं उससे सम्बन्धित पत्रावली प्राप्त करनी चाही तो थानाधिकारी ने बताया की इसकी कोई पत्रावली नही बनाई गयी है नाही कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। समय 10.40 पी.एम. पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार हैड

कानि 693 के पुलिस चौकी माहीडेम के क्वॉर्टर परिसर में स्थित क्वॉर्टर जिसमें निवास करतें है की खानातलाषी ली जानी है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार निषांदेहि पर क्वॉर्टर की खाना तलाषी ली जाकर फर्द मुर्तिब की गई जिस पर सम्बिन्धितो के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। तत्पष्चात रात्री का समय हो जाने एवं चौकी पर विद्युत सम्बन्धि परेषानियां होने की सम्भावना होने से अग्रिम कार्यवाही चौकी पर किया जाना सम्भव नही होने के कारण दोनो आरोपीयो को डिटेन किया गया एवं अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पर की जावेगी। पुलिस चौकी माहीडेम का चार्ज श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि 466 पुलिस थाना भुंगडा जो की मौके पर उपस्थित है चौकी चार्ज जिम्मे किया गया। समय 10.57 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय डिटेनषुदा आरोपीगण श्री गणपतलाल, उपनिरीक्षक, श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि, परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा, श्री रमेष मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री लोकेष चन्द्र, श्री मनु काले, मय ब्यूरो जाब्ता, श्री गणेषलाल हैड कानि श्री हरभजन सिंह क.स., श्री बंषीलाल कानि मय ट्रेप बॉक्स व जब्तषुदा आर्टिकल्स, आवष्यक संसाधन तथा श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री नारायणलाल सप्रअ अपने-अपने वाहनो से एवं श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को थानाधिकारी का निजी वाहन मारूती ग्रेंड विटारा बरंग सफेद को लेकर आने हेतु पाबन्द कर पुलिस थाना भुगडा के लिए रवाना हुए। समय 11.20 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानो के पुलिस थाना भुगडा पहुंचा। थानाधिकारी के कक्ष की दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी थानाधिकारी की निषांदेही में तलाषी शुरू की जाकर फर्द मुर्तिब की गई जिस पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री गणपतलाल थानाधिकारी का निजी वाहन मारूती ग्रेंड विटारा बरंग सफेद को श्री विवेकभान सिंह, सहायक पुलिस निरीक्षक जो थाने पर उपस्थित है को मय चाबी के सुपूर्द की गई तथा पुलिस थाना भुगडा के प्रकरण संख्या 39/2024 धारा 376 भादस की पत्रावली प्रमाणित छाया प्रति ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पर विषेष वाहक के साथ भिजवाने हेतु पाबन्द किया गया। समय 11.30 पी.एम. पर खानातलाषी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानो के पुलिस थाना भुगडा के पिछे स्थित आरोपी थानाधिकारी के किराये के मकान पहुंचा। आरोपी थानाधिकारी उक्त मकान की उपरी मंजिल पर किराये पर रहता है जिसकी खानातलाषी दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी थानाधिकारी की निषांदेही में तलाषी शुरू की जाकर फर्द मुर्तिब की गई जिस पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.50 पी.एम. पर बाद खानातलाषी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय ट्रेप बॉक्स व जब्तषुदा आर्टिकल्स, आवष्यक संसाधन तथा श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री नारायणलाल सप्रअ, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि अपने-अपने वाहनो से पुलिस थाना भुगडा से ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा के लिए रवाना हुए। दिनांक 15-08-2024 समय 00.25 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय ट्रेप बॉक्स व जब्तषुदा आर्टिकल्स, आवष्यक संसाधन तथा श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री नारायणलाल सप्रअ, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पहुंचा। समय 00.40 ए.एम. पर दिनांक 13-08-24 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा एवं श्री रमेष की वार्तालाप आरापी श्री गणपतलाल, थानाधिकारी के मध्य मोबाईल पर पुलिस थाना भुंगडा में हुई जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री बंषीलाल कानि. 63 से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि मांग सत्यापन फर्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार पृथक से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये थे। परिवादी ने उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता में एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्री गणपतलाल, थानाधिकारी की होना बताया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्डषुदा है, उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। समय 02.40 ए.एम. पर दिनांक 14-08-24 को रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा की वार्तालाप आरोपि श्री राजेन्द्र कुमार, हैड कानि के मध्य आमने सामने एवं आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि एवं आरोपी श्री गणपतलाल, थानाधिकारी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जो की पुलिस चौकी माहिडेम पर हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री बंषीलाल कानि. 63 से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट पृथक से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय 03.40 ए.एम. पर आरोपी श्री गणपतलाल वसीटा, थानाधिकारी को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसके बहन श्रीमती गुडीया कुमारी के मोबाईल पर सुचित किया गया। समय 04.10 ए.एम. पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार, हैड कानि 693 को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसकी पत्नि श्रीमती आषा देवी को उसके मोबाईल पर सुचित किया गया। समय 05.02 ए.एम. पर दिनांक 13-08-24 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा एवं श्री रमेष की वार्तालाप आरोपी श्री गणपलाल, थानाधिकारी के मध्य पुलिस थाना भुंगडा के कार्यालय पर मोबाईल पर हुई वार्ता, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय

मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा आज दिनांक 14.08.2024 रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा की वार्तालाप आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार, हैड कानि 693 के मध्य हुई, एवं आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि 693 एवं श्री गणपतलाल, थानाधिकारी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी के द्वारा रिकोर्ड की गई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बंषीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव तथा तीसरी पेनड्राईव पर आई.ओ. लिखा गया। मूल पेनड्राईव आई-बॉल 64 जी.बी. जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क RP अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव आई-बॉल 64 जी.बी. को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया तथा आई.ओ. पेनड्राईव को भी कवर में रखकर सुरक्षित रखा गया। समय 05.40 ए.एम. पर दिनांक 13-08-24 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा की वार्तालाप आरोपी श्री गणपतलाल, थानाधिकारी के मध्य मोबाईल पर पुलिस थाना भुंगडा के कार्यालय पर हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा आज दिनांक 14.08.2024 रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा की वार्तालाप आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि 693 एवं आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि के मोबाईल से आरोपी श्री गणपतलाल के मोबाईल पर हुई वार्ता, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग नीला व सफेद 16 जी.बी. जिस पर कन्सिसटेंट लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार मार्क M अंकित कर जब्त किया गया। समय 05.50 ए. एम. पर आरोपी श्री गणपतलाल, थानाधिकारी एवं श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि 693 के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही के दौरान् श्री बंषीलाल कानि. 63 के मोबाईल वनप्लस कम्पनी से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बंषीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव आई-बॉल 64 जी.बी. को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क MV अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव आई-बॉल 64 जी.बी. को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 05.55 ए.एम. पर आरोपी श्री गणपतलाल, थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष एवं उसके निवास स्थान की खानातलाषी के दौरान् श्री बंषीलाल कानि. 63 के मोबाईल वनप्लस कम्पनी से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बंषीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव आई-बॉल 64 जी.बी. को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव आई-बॉल 64 जी.बी. को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 06.05 ए.एम. पर आरोपी श्री गणपतलाल, थानाधिकारी एवं श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि नं 693 पुलिस चौकी माहिडेम पुलिस थाना भुंगडा जिला बांसवाडा के मध्य दिनांक 14.08.2024 दौराने ट्रेप कार्यवाही मोबाईल वार्ता हुई थी आरोपी श्री गणपतलाल की जामा तलाषी के स्वतंत्र गवाह श्री लोकेष चन्द्र से लिवाई गई थी तब आरोपी के पास से मोबाईल बरामद हुआ था जिसे स्वतंत्र गवाह श्री लोकेषचन्द्र कां सम्भलाये गये थे जिसे जब्त करना आवष्यक होने से आरोपी के मोबाईल फोन को जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर सिलचिट किया गया। समय 06.20 ए.एम. पर आरोपी श्री गणपतलाल, थानाधिकारी एवं श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि नं 693 पुलिस चौकी माहिडेम पुलिस थाना भुंगडा जिला बांसवाडा के मध्य दिनांक 14.08.2024 दौराने ट्रेप कार्यवाही मोबाईल वार्ता हुई थी आरोपी श्री राजेन्द्र की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री लोकेष चन्द्र से लिवाई गई थी तब आरोपी के पास से मोबाईल बरामद हुआ था जिसे स्वतंत्र गवाह श्री लोकेषचन्द्र कां सम्भलाये गये थे जिसे जब्त करना आवष्यक होने से आरोपी के मोबाईल फोन को जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर सिलचिट किया गया। समय 07.00 ए.एम. पर आरोपी श्री गणपतलाल वसीटा, थानाधिकारी को भ्र.नि.ब्यूरो बांसवाड़ा के पत्रांक 886 दिनांक 15-08-24 आवाज का नमूना हेतु व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में पत्रांक 889 दिनांक 15-08-24 एवं श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि 693 को भ्र.नि.ब्यूरो बांसवाड़ा के पत्रांक 887 दिनांक 15-08-24 आवाज का नमूना हेतु व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में पत्रांक 888 दिनांक 15-08-24 दिया गया तो आरोपी ने उसी पत्र पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है साथ ही अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया कि बवक्त न्यायालय में अपना स्पष्टीकरण पेश करूंगा। दोनो पत्रों पर

स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। समय 09.25 ए.एम. पर आरोपी श्री गणपतलाल उप निरीक्षक एवं श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि 693 का मेडीकल परीक्षण करवाने हेतु जरिये पत्रांक 890 दिनांक 15.08.2024 से श्री गणेषलाल हैड कानि, श्री बाबुलाल कानि, श्री जितेन्द्र कानि , श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को जरिये वाहन राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा के लिये रवाना किए। समय 09.47 ए.एम. पर श्री गणेषलाल हैड कानि 20 मय स्टाफ के सदस्यों सहित आरोपीगण श्री गणपतलाल, उपनिरीक्षक पुलिस एवं श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि 693 का मेडीकल स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा उपस्थित आये और आरोपीगण के मेडीकल स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पेष किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समय 10.00 ए.एम. पर श्री दुधजी पिता श्री सरदार चरपोटा निवासी वाका तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा हाल हैड कानि नं 178 पुलिस थाना भुगडा जिला बांसवाडा तलविदा उपस्थित आया एवं अपने साथ पुलिस थाना भुंगडा के प्रकरण संख्या 39/2024 धारा 376 भादस की पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति पेष की जिसका अवलोकन किया जाकर शामिल पत्रावली कि गई। दिनांक 13.08.2024 को हुई रिष्वती राषि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा की वार्तालाप आरोपी श्री गणपतलाल, थानाधिकारी के मध्य मोबाईल पर पुलिस थाना भुंगडा में हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा दिनांक 14.08.2024 को रिष्वती राषि लेन-देन के दौरान परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा की वार्तालाप आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि से एवं आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि एवं श्री गणपतलाल, थानाधिकारी की मौके पर हुई वार्ता को जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड हुई जिसकी तैयार शुदा डब पेनड्राईव को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट करवाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन व लेन-देन वार्ता को तलबी शुदा को सुनाई गई तो श्री दुधजी चरपोटा, हैड कानि 178 द्वारा आरोपीगण श्री गणपतलाल, थानाधिकारी एवं श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि 693 की आवाज पहचान की ताईद की गई। उक्त आवाज पहचान की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर श्री दुधजी को रूखसत किया गया। समय 10.40 ए.एम. पर जब्तशुदा मालखाना आईटम को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु श्री गणेषलाल हैड कान्सटेबल 20 को निर्देशित किया गया। समय 10.54 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्यवाही में घटनास्थल का नक्षा मौका बनाया जाना आवष्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री गणेषलाल हैड कानि एवं श्री जितेन्द्र सिंह चालक मय परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान को हमराह ले जरिये सरकारी वाहन से ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना हो पुलिस चौकी माहीडेम के स्टॉफ क्वार्टर के लिए रवाना किया। समय 11.36 ए.एम. पर उपरोक्त पैरा के रवानाषुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री जितेन्द्र कुमार कानि एवं श्री जितेन्द्र सिंह चालक मय परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान के बाद घटनास्थल नक्षा मौका के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आए और घटनास्थल का नक्षा मौका जिसे शामिल पत्रावली किया गया। ट्रेप कार्यवाही की लिखापढी पूर्ण होने पर परिवादी श्री प्रेमचन्द्र निनामा एवं श्री रमेष व दोनो स्वतन्त्र गवाहो को रूखसत किया गया। प्रकरण में आरोपीगण श्री गणपतलाल, उप निरीक्षक पुलिस एवं श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि 693 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय् के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिष्वत राषि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपीगणो द्वारा परिवादी एवं परिवादी के चचेरे भाई के विरूद्व मोबाईल चोरी के झुठे मुकदमे में फंसाने एवं दोनो के विरूद्व मुकदमा दर्ज नही करवाने की एवज में आरोपीओ द्वारा रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी की रिपोर्ट के अनुरूप कुल 15,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर दिनांक 13.08.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाई गई। जिसमें आरोपी श्री गणपतलाल वसीटा थानाधिकारी ने परिवादी से उसको और उसके चचेरे भाई के विरूद्व झुठा मुकदमा नही करने के नाम पर कुल 15,000/- रूपये मांग की गई एवं रिश्वत राशि आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि 693 पुलिस चौकी माहिडेम पुलिस थाना भुगडा जिला बांसवाडा को देने के लिए कहां। जिस पर दिनांक 14.08.2024 को रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता के दौरान आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि 693 ने 15,000/- रूपये परिवादी से मांग अनुसार रिष्वत राषि ग्रहण की गई जो बरामद की जा चुकी है। इस प्रकार आरोपीगण श्री गणपतलाल, उप निरीक्षक पुलिस एवं श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि 693 द्वारा आपसी मिलिभगत कर अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिश्वत राषि परिवादी से मांगकर ग्रहण करना जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संषोधित) अधिनयिम 2018 एवं 61 (2) बी.एन.एस. 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर दिनांक 15.08.2024 को गिरफ्तार किए गए है। जो की जुर्म जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संषोधित) अधिनयिम 2018 एवं 61 (2) बी.एन.एस. 2023 के प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपीगण श्री गणपतलाल थानाधिकारी एवं श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि 693 पुलिस चौकी माहीडेम पुलिस थाना भुगडा जिला बांसवाडा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित) 2018 एवं 61 (2) बी.एन.एस. 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं। भवदीय, (ऋषिकेष मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित

किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ऋषिकेश मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बी.एन.एस. 2023 में आरोपीगण 1.श्री गणपतलाल वसीटा पिता श्री नाथुलाल वसीटा उम्र 33 वर्ष निवासी सुखधाम कॉलोनी पिण्डवाडा जिला सिरोही हाल उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना भुंगडा जिला बांसवाडा 2.श्री राजेन्द्र कुमार पिता श्री पन्नालाल डामोर निवासी सामीसेरा पुलिस थाना आनन्दपुरी जिला बांसवाडा हाल हैड कानि 693 पुलिस चौकी माहीडेम पुलिस थाना भुंगडा जिला बांसवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 245 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 914-18 दिनांक 16.08.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 पुलिस महानिरीक्षक रेंज बांसवाड़ा। 3 पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा। 4 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर। 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIKRAM SINGH PARMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 16/08/2024 20:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1991				
2	Male	1980				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)